Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 68-2022/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल, 2022
(23 चैत्र, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 24/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 –हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप क तथा ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	109–110
	2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 25/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 –हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	111–112
	3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 26/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 –हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	113–114
	4. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 27/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 –हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	115–116
	5. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 28/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 –हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	117–118
	6. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 29/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 –हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप ग) हरियाणा रोडवेज सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	119–120
	7. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 30/संवि०/अनु० 309/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 –हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप ग) परिवहन आयुक्त कार्यालय सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	121–122
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अप्रैल, 2022

संख्या सा०का०नि० 24/संवि०/अनु० 309/2022.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप क तथा ख) सेवा नियम, 1999, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप क तथा ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप क तथा ख) सेवा नियम, 1999 में नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"4 क. आयु– कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को अठारह वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष से अधिक की आयु का हो।"।

अनुराग अग्रवाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
निर्वाचन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ELECTION DEPARTMENT

Notification

The 13th April, 2022

No. G.S.R. 24/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Election Department (Group A and B) Service Rules, 1999, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Election Department (Group A and B) Service (Amendment) Rules, 2022.

2. In the Haryana Elections Department (Group A and B) Service Rules, 1999, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:-

"4A. Age.- No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than eighteen years or more than forty-two years of age, on the last date of submission of application to the Commission."

ANURAG AGARWAL,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Election Department.

9560—L.R.—H.G.P., Pkl.

भाग—III

हरियाणा सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अप्रैल, 2022

संख्या सा०का०नि० 25/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1999, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1999 में, नियम 5 में, '17' अंकों के स्थान पर "अठारह" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अनुराग अग्रवाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
निर्वाचन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ELECTION DEPARTMENT

Notification

The 13th April, 2022

No. G.S.R. 25/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Election Department (Group C) Service Rules, 1999, namely:

1. These rules may be called the Haryana Election Department (Group C) Service (Amendment) Rules, 2022.

2. In the Haryana Election Department (Group C) Service Rules, 1999, in rule 5, for the figure "17", the word "eighteen" shall be substituted.

ANURAG AGARWAL,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Election Department.

9560—L.R.—H.G.P., Pkl.

भाग–III

हरियाणा सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अप्रैल, 2022

संख्या सा०का०नि० 26/संवि०/अनु० 309/2022.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1997, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा निर्वाचन विभाग (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1997 में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"5. आयु– सेवा में सीधी भर्ती के लिए आयु ऐसी होगी, जो हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट हो।"।

अनुराग अग्रवाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
निर्वाचन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ELECTION DEPARTMENT

Notification

The 13th April, 2022

No. G.S.R. 26/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Election Department (Group D) Service Rules, 1997, namely:

1. These rules may be called the Haryana Election Department (Group D) Service (Amendment) Rules, 2022.

2. In the Haryana Election Department (Group D) Service Rules, 1997, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

"5. Age.- The age for direct recruitment to the Service shall be such as specified in section 6 of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018).".

ANURAG AGARWAL,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Election Department.

9560—L.R.—H.G.P., Pkl.